

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- राजवीर सिंह यादव R.A.S.

दावा पत्र संख्या :- 24/2018

दायर तारीख :- 01-06-2018

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

— वादी

बनाम

1. शीतल ग्रास फिल्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रा. लि. जयपुर जरिये डायरेक्टर गोपाल पु. सोहन दास स्वामी

— प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 177 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : पैरोकार सरकार

श्री रमेश पारीक एवं गुरुशरणदास गौतम , अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

निर्णय दिनांक 01.01.2020

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि ग्राम बामनवास के खसरा नंबर 3018/0.22, 3019/0.10, 3021/0.60, 2986/0.15 हैक्टेयर प्रतिवादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2070-73 है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को मौके पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अवैध रूप से अकृषि कार्य में उपयोग में लिया जा रहा है, जबकि उक्त भूमि कृषि भूमि है, तथा आराजी मुतनाजा का उपयोग अकृषि कार्य में किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध हैं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का बिना रूपान्तरण कराये अकृषि के उपयोग में ली जा रही है, जो काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः निवेदन है कि उक्त भूमि राज. सरकार में दर्ज करने के आदेश फरमावें।
2. वाद/प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. पैरोकार सरकार ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी संवत 2070-2073, फर्द मौका दिनांक 27.01.2018, फर्द मौका रिपोर्ट कार्य रोकने बाबत दिनांक 29.01.2018 आदि पेश किये।
4. प्रतिवादी प्रस्तुत जवाब प्रार्थना में कथन रहे कि प्रतिवादी ने किसी भी कृषि भूमि पर कोई अकृषि कार्य नहीं किया है। अतः प्रतिवादी की खातेदारी भूमि को इस तरह से

सिवायचक घोषित नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। यह है कि प्रतिवादी ने जो निर्माण कार्य किया है वह अपनी अन्य रूपान्तरित भूमि में ही किया है। तहसीलदार जी ने गलत व झूठी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्यवाही की है, जो खारिज करने योग्य है। उक्त आराजी के बाबत तहसीलदार जी की समस्त कार्यवाही व रिपोर्ट केबाद श्रीमान के समक्ष रूपान्तरण की कार्यवाही विचाराधीन है।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। जमाबंदी सवत् 2070-2073 आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 3018/0.22, 3019/0.10, 3021/0.60, 2986/0.15 हैक्टेयर प्रतिवादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पैराकार सरकार का तर्क रहा कि मौके पर खसरा नंबर 3018/0.22, 3019/0.10, 3021/0.60, 2986/0.15 हैक्टेयर भूमि पर खेती नहीं की जा रही है। आराजी मुतनाजा का प्रतिवादीगण द्वारा भूमि रूपान्तरण नहीं कराया है। पैरोकार सरकार का यह भी तर्क रहा कि प्रतिवादी बिना भू-रूपान्तरण आराजी मुतनाजा का उपयोग अकृषि कार्य नहीं कर सकता है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा को केवल काश्त कर सकता है। अतः आराजी मुतनाजा को सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादीगण द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के आराजी मुतनाजा का अकृषि उपयोग किया है, जो विधिक नहीं है तथा काश्तकारी शर्तों का उल्लंघन है। चूंकि प्रतिवादीगण के खाते में आराजी मुतनाजा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के रूप में दर्ज है, इसलिए प्रतिवादीगण कृषि प्रयोजनार्थ से इतर भूमि का उपयोग/उपभोग नहीं कर सकता है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 177 में यह स्पष्ट है कि "अभिधारी अपनी जोत(भूमि) में भूमि के लिए अहितकारी कार्य या जिस प्रयोजन के लिए भूमि दी गई है उससे असंगत कार्य करेगा तो बेदखली का दायी होगा"। यहां यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने कृषि से इतर उपयोग किया है। अतः वाद पत्र के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा जो जवाब दावा/प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उचित प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। पैरोकार सरकार की बहस से स्पष्ट है कि वाद दायरी से पूर्व मोबाईल टॉवर स्थापित कर उपयोग किया जा रहा था। आराजी मुतनाजा कृषि है, जिसका मौके पर अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग हो रहा है, जो काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः आराजी मुतनाजा को सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज किया जाना न्यायसंगत एवं उचित है।

आदेश

वादी (पैरोकार सरकार)का वाद डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम बामनवास के खसरा नंबर 3018/0.22, 3019/0.10, 3021/0.60, 2986/0.15 हैक्टेयर भूमि को अकृषि उपयोग में आने के कारण सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी की खातेदारी हजफ कर अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार विराटनगर को प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 01.01.2020 सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

